राजस्थान सरकार
वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

क्रमांकः प.3(2)वित्त/सावितेनि/2020 जयपुर, दिनांकः 16.07.2026

परिपत्र

वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.5(थ–75) डीटीए/IFMS/WAM/5912 दिनांक 02.01.2025 तथा वित्त (वित्तीय नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(2)वित्त/सावितेनि/2020 दिनांक 22.07.2025 के द्वारा निर्माण विभागों के स्तर पर संपादित कराये जाने वाले कार्यों के संबंध में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने बाबत् विस्तृत दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये हैं। इस बारे में महसूस की जा रही कतिपय व्यावहारिक कठिनाईयों के निवारण की दृष्टि से प्रक्रियात्मक समय को न्यून करने तथा समयबद्ध रूप से सम्पादन हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देश एतद्द्वारा जारी किए जाते हैं :–

1. विभागों से प्राप्त जिन प्रस्तावों पर वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एक साथ जारी करने की वित्तीय सहमति प्रदान की जावेगी, उन प्रकरणों के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22.07.2025 में वर्णित दिशा–निर्देश ही प्रभावी रहेंगे।

2. वित्त विभाग द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों में कतिपय प्रकरणों के संबंध में सैद्धांतिक सहमति (In principle approval) प्रदान की जा रही है। जिसके अन्तर्गत अब ऐसे प्रकरणों में वित्त विभाग से सैद्धांतिक सहमति प्राप्त होने के उपरान्त सर्वप्रथम प्रशासनिक स्वीकृति (एस.ओ.पी. में निर्धारित सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त कर) जारी की जावेगी। तदुपरान्त विभागों द्वारा निर्माण व्यय अनुमान (Estimate) तैयार करने, तकनीकी स्वीकृति जारी करने, निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने इत्यादि से संबंधित कार्य किया जावेगा। निविदा में प्राप्त वित्तीय दरों के आधार पर वित्तीय सहमति हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जायेंगे। वित्त विभाग से वित्तीय सहमति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यादेश जारी किए जा सकेंगे।

   इस प्रक्रिया के अन्तर्गत अब केवल एस.ओ.पी. के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाकर प्रशासनिक स्वीकृति के साथ AS-ID प्राप्त की जावेगी।

3. बिन्दु संख्या 2 में वर्णित प्रक्रिया में वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने हेतु IFMS 3.0 में अलग प्रक्रिया विकसित की जावेगी। जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर जारी तकनीकी स्वीकृति एवं BOQ के अनुसार की गई उपापन प्रक्रिया उपरान्त स्वीकृत निविदा के अनुसार वित्त विभाग से पत्रावली पर वित्तीय सहमति प्राप्त कर वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु FD-FS-ID प्राप्त किए जाने का प्रावधान रखा जावेगा। इस हेतु प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया को सम्बद्ध किया जावेगा।

4. उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(महेन्द्र मोहन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :–

1. अति.मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव/मुख्य अभियंता, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
9. वित्तीय सलाहकार, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
10. कोषाधिकारी समस्त ।
11. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
12. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि इस आदेश को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।

संयुक्त शासन सचिव

PNF&AR- 117/2026